राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना याचिका संख्या :–27 / 2021

अपील संख्या :–677 / 2021

गेंदा लाल गर्ग **–अपीलार्थी**

बनाम

1. श्री गोपाल सिंह, उप शासन सचिव, प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (ग्रामीण विकास अनुभाग।), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमती प्रतिभा देवटिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के. निगम, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अवमानना याचिका में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 08.02.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा कृषि विभाग के अधिवक्ता के साथ–साथ ग्रामीण विकास विभाग के अधिवक्ता की उपस्थिति में अंतरिम आदेश पारित किया, लेकिन आदेश दिनांक 08.02.2021 में टंकण त्रुटि के कारण तारीख गलत अंकित हो गई थी। आदेश दिनांक 16.02.2021 (अनुलग्नक–2) को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया जिसके तहत अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2020, 30.12.2020 और 27.01.2021 पर रोक लगा दी गई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 08.02.2021 एवं 16.02.2021 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर दिनांक 17.02.2021 (अनुलग्नक–3) द्वारा जिला परिषद, कोटा में XEN NAREGA के पद पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश दिनांक 08.02.2021 और 16.02.2021 की अनुपालना में अपनी जॉइनिंग प्रस्तुत की, लेकिन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कोटा ने दिनांक 18.02.2021 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को इस आधार पर जॉइन करने की अनुमति नहीं दी गई कि अपील में जिला परिषद् कोटा एवं ग्रामीण विकास विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं न ही अपील की प्रति प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने दिनांक 19.02.2021 को दोपहर 1. 30 बजे अवमाननाकर्ता संख्या 2 को 1 अपील रसीद की प्रति अनुलग्नक–5 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश दिनांक 08.02.2021 एवं 16.02.2021 के अनुसरण में अपनी ज्वाइनिंग प्रस्तुत की, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने केवल इस कारण से अधिकरण के निर्देशों की पालना नहीं की है कि अपीलार्थी ग्रामीण विकास विभाग में कृषि विभाग के कैडर पद के खिलाफ काम कर रहा है। प्रत्यर्थीगण अधिकरण के आदेश मानने के लिए बाध्य है परन्तु इन्होने अनुपालना नहीं कर अवमानना कारित की है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को अधिकरण के दिनांक 08.02.2021 और 16.02.2021 के निर्देशों की पालना करने एवं अपीलार्थी को नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ एक्सईएन नरेगा, जिला परिषद, कोटा के पद पर शामिल होने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया जावे।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप–1) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.12.2020 द्वारा अपीलार्थी का पदौन्नति उपरांत पदस्थापन अधिशाषी अभियन्ता (महानरेगा) जिला परिषद कोटा के रिक्त पद पर किया जाना अंकित है जो विधि अनुसार पोषणीय नही है क्योंकि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग–1) द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.12.2020 के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (महानरेगा) जिला परिषद कोटा के पद पर मुरारीलाल मीणा का पदस्थापन किया गया, अधिशाषी अभियन्ता (महानरेगा) जिला परिषद कोटा के पद पर अपीलार्थी द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत करने से पूर्व ही श्री मुरारीलाल मीणा द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के क्रम मे जिला परिषद कोटा द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2020 जारी कर अधिशाषी अभियन्ता (महानरेगा) जिला परिषद कोटा का कार्य श्री मुरारीलाल मीणा को सूपूर्द किया गया। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास ग्रुप–1)

द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.04.2010 में अभियंताओ के स्थानान्तरण/पदस्थापन संबधी प्रस्ताव शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित करेगे। इन प्रस्तावो पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की कार्यवाही ग्रामीण विकास विभाग के अनुभाग–1 के द्वारा की जावेगी (अनुलग्नक–आर–1) तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.05.2018 में पदौन्नति पर विभाग की अनुमति के बिना विभागीय (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) पदो पर जिला परिषद/पंचायत समितियो मे पदस्थापन नही किया जावे (अनुलग्नक–आर–2)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2021 (अनुलग्नक आर–3) एवं आदेश दिनांक 07.04.2021 (अनुलग्नक आर–4) के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के संबंध में कृषि (ग्रुप–1) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.12.2020 पोषणीय नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

3. हमने उभय पक्ष की अवमानना प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रस्तुत अवमाना याचिका में अपील संख्या 677/2021 में अधिकरण ने आदेश दिनांक 08.02.2021 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.12.2020 की क्रियान्विति स्थगित करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही यह निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां वह आलौच्य आदेश जारी करने से पूर्व कार्यरत था। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने दिनांक 17.02.2021 को अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग को अपनी उपस्थिति दी परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण कराने के संबंध में पत्र दिनांक 18.02.2021 द्वारा सूचित किया कि अपील में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं ग्रामीण विकास विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः कार्यग्रहण करवाया जाना संभव नहीं है। यह तथ्य है कि अधिकरण के आदेश दिनांक 02.08.2021 को अपील को अन्तिम रूप से खारिज किया जा चुका है और अपीलार्थी का पैतृक विभाग द्वारा अन्यत्र पदस्थापन करने से अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है और वर्तमान में अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका में आदेश दिनांक 08.02.2021 से 16.02.2021 की पालना कराने एवं कार्यग्रहण कराने तथा वेतन दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी का अधिकरण द्वारा अपील खारिज करने के पश्चात अन्यत्र पदस्थापन किया जा चुका है। निस्तारित अपील संख्या 677/2021 को तलब कर अवलोकन करने पर पाया कि उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् कोटा एवं ग्रामीण विकास विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलार्थी ने अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में अपनी उपस्थिति जिला परिषद् कोटा में प्रस्तुत की है, जबकि वह मूल अपील में पक्षकार ही नहीं है एवं जिला परिषद् कोटा में अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा) पर अन्य अधिकारी कार्यरत था जिसे अपील में निजी पक्षकार भी बनाया गया है। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत हम अवमानना याचिका को खारिज करना उचित समझते है इसलिए अवमानना याचिका खारिज की जाती है। अपीलार्थी को बकाया वेतन भत्तों के संबंध में नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य